

अनुच्छेद 142

प्रलिस के लयः

अनुच्छेद 142, सर्वोच्च न्यायालय, उपभोक्ता संरक्षण नयल, 2020, 'शक्तयों के पृथक्करण' का सदिधांत ।

मेन्स के लयः

अनुच्छेद 142 ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [अनुच्छेद 142](#) के तहत फैसला सुनाया कि 10 वर्ष के अनुभव वाले वकील और पेशेवर राज्य उपभोक्ता आयोग एवं ज़िला मंचों के अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में नयुक्त के पात्र होंगे ।

- सर्वोच्च न्यायालय ने [उपभोक्ता संरक्षण अधिनयल, 2019](#) की धारा 101 के तहत [उपभोक्ता संरक्षण नयल, 2020](#) के प्रावधानों को रद करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जसमें राज्य उपभोक्ता आयोगों एवं ज़िला मंचों के सदस्यों हेतु क्रमशः 20 वर्ष और 15 वर्ष का न्यूनतम पेशेवर अनुभव नरिधारति कया गया है ।

न्यायालय का फैसला:

- केंद्र सरकार और संबंथति राज्य सरकारों को उपभोक्ता संरक्षण (नयुक्त हेतु योग्यता, भरती की वधि, नयुक्त की प्रकरया, पद की अवधि, राज्य आयोग और ज़िला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का इस्तीफा तथा हटाने) नयल, 2020 में संशोधन करना होगा ताकि राज्य आयोग और ज़िला मंचों के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नयुक्त के लयिक्रमशः 20 वर्ष और 15 वर्ष के बजाय 10 वर्ष के अनुभव का प्रावधान कया जा सके ।
- उपरयुक्त संशोधन कयि जाने तक सनातक की डगिरी वाले वकील और पेशेवर जनिके पास उपभोक्ता मामलों, कानून, सार्वजनिक मामलों, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणजिय, उद्योग, वतित, प्रबंधन, इंजीनयिरगि, प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य या चकितिसा में 10 वर्षों का अनुभव है, राज्य उपभोक्ता आयोग और ज़िला मंचों के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नयुक्त के पात्र होंगे ।
- न्यायालय ने उम्मीदवारों की पात्रता की जांच करने के लयि लखिति परीक्षा और मौखिक परीक्षा (Viva Voce) का सुझाव भी दया ।

अनुच्छेद 142 क्या है?

परचिय:

- अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को वविकाधीन शक्ति प्रदान करता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डकिरी पारति कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबति कसि भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनश्चिति करने के लयि आवश्यक हो ।

रचनात्मक अनुप्रयोग:

- अनुच्छेद 142 के विकास के शुरुआती वर्षों में आम जनता और वकीलों दोनों ने समाज के वभिन्नि वंचति वर्गों को पूर्ण न्याय दलाने या पर्यावरण की रक्षा करने के प्रयासों के लयि सर्वोच्च न्यायालय की सराहना की ।
- ताजमहल की सफाई और अनेक वचाराधीन कैदयों को न्याय दलाने में इस अनुच्छेद का महत्त्वपूर्ण योगदान है ।

न्यायिक अतरिक के मामले: Cases of Judicial Overreach:

- हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय के कई नरिणय हुए हैं जनिमें यह उन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है जो लंबे समय से न्यायपालिका के लयि ['शक्तयों के पृथक्करण' के सदिधांत](#) के कारण वर्जति थे, जो कि ['संवधान का मूल संरचना'](#) का हसिसा है । ऐसा ही एक उदाहरण

है:

- **राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के कनारे शराब बिक्री पर प्रतिबंध:** केंद्र सरकार की अधिसूचना में राष्ट्रीय राजमार्गों के कनारे शराब की दुकान खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 को लागू करते हुए इस प्रतिबंध को 500 मीटर की दूरी तक सीमित दिया है।
- इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी राज्य सरकार की इस तरह की अधिसूचना के अभाव में न्यायालय ने प्रतिबंध को राज्य राजमार्गों तक बढ़ा दिया।
- **अनुच्छेद 142** को लागू करने के इस तरह के फैसलों ने न्यायालयों में नहिति वविकाधकार की शक्ति को लेकर अनश्चितता पैदा कर दी है, जहाँ व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की अनदेखी की जा रही है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. भारत के संवधान के संदर्भ में सामान्य वधियों में अंतरवषिट प्रतषिध अथवा नबिंधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांवधानिके शक्तियों पर प्रतषिध अथवा नरिबंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। नमिनलखिति में से कौन-सा एक इसका अर्थ हो सकता है? (2019)

- (a) भारत के नरिवाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का नरिवहन करते समय लयि गए नरिण्यों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- (b) भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा नरिमति वधियों से बाध्य नहीं होता।
- (c) देश में गंभीर वत्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बनिा वत्तीय आपात घोषति कर सकता है।
- (d) कुछ मामलों में राज्य वधानमंडल, संघ वधानमंडल की सहमति के बनिा वधि नरिमति नहीं कर सकते।

उत्तर: (b)

स्रोत: बज़िनेस स्टैण्डर्ड

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/article-142-3>

